कार्यालय

आयकर आयुक्त

आयकर भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

फा०सं० 58-59/48/ 80G(5)(vi)/तक/इला/2009-10 दिनांक: 10-02-2010

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के अंतर्गत आदेश-

बायोवेद रिसर्च सोसाइटी, (PAN-AAAAB5572D)

252A/4A, ओम गायत्री नगर, तेलियरगंज, इलाहाबाद

उपर्युक्त मामले में दिनांक **09-10-2009** के आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाताहै कि उक्त ट्रस्ट/संस्था/फंड को दिया गया संदाय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के अंतर्गत उक्त धारा और विहित नियमों में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन आपको दिया गया दान दाताओं के पक्ष में छूट के योग्य होगा।

यह कर मुक्ति प्रमाणपत्र वि०व० **2009-10 (नि०व० 2010-11)** से वि०व०**2011-12**(नि०व० **2012-13)** तक वैध है।

-Sd-

(डी० राय चौधरी)

आयकर आयुक्त

इलाहाबाद

नोट-

1. दान दाताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र **वि०व० 2009-10 (नि०व० 2010-11)** से **वि०व०2011-12(नि०व० 2012-13)** तक वैध है।
2. इस मान्यता प्रमाण पत्र से ट्रस्ट/संस्था/फंड को अपने कर निर्धारण में छूट का दावा करने का स्वतः अधिकार नहीं प्राप्त हो जाएगा। क्या निर्धारिती अधिनियम की धारा 2(15) के अभिप्राय के अंतर्गत पूर्त(चैरिटेबल) है और क्या धारा 11, 12, 12 ए और 13 में दी गई शर्ते पूरी होती हैं, के संदर्भ में निर्धारण अधिकारी अलग से इसकी जांच करेगा।
3. जहां न्यास/संस्था को व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ से कोई आय होती है तो उसे दानदाता को इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र जारी करना होगा कि दान से प्राप्त राशि को व्यवसाय में नहीं लगाया गया है तथा ऐसे व्यवसाय के रिकार्ड के लिए अलग से लेखा पुस्तकें बनायी गयी हैं।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. बायोवेद रिसर्च सोसाइटी,
   252A/4A, ओम गायत्री नगर, तेलियरगंज, इलाहाबाद
2. आयकर अपर आयुक्त, रेंज- I/ II इलाहाबाद एवं रेंज-III मीरजापुर
3. निर्धारण अधिकारी

10/02/10

(डी०के०श्रीवास्तव)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)

कृते आयकर आयुक्त,इलाहाबाद